संख्या-99/2022/I/201027/2022/001-71-2099-1226-2020

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -2 लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं उपकरणों की सूची अनुमोदित किय जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/उपकरण/2022-23/872, दिनांक 09-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों की सूची व उनके स्पेसिफिकेशन अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों को अनुमोदित करते हुए इनके क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 4500.00 लाख (रूपया पैतालिस करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
2. संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया जायेगा। वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3. संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये। स्वीकृत धनराशि बैंक /डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस- 2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/ संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण हेतु किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
13. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वरीयता के अनुसार किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
14. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रोप्राइटरी श्रेणी के उपकरण के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
16. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा | आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जयेगा |
18. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,00,00,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव

संख्या-99/2022/1/201027**/001-71-2099-1226-2020, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

LIST OF MEDICAL EQUIPMENTS AND SUPPORTIVE ITEMS FOR VARIOUS DEPARTMENTS OF INSTITUTE FOR FINANCIAL YEAR 2022-2023						
Sl. No.	**Name of Department**	**Name of Equipment**	**Qty**	**Unit Cost**	**Total Cost (Rs. In lacs)**	**Total Cost (Rs. In Lacs)**
1	Anesthesiology					
	1	Transport Ventilator	1	6.00	6.00	
	2	Pediatric Fiberoptic Video Bronchoscope	1	25.00	25.00	
	3	Echocardiography with probes	1	90.00	90.00	
	4	Advanced cardiac output monitor	1	30.00	30.00	151.00
2	BIOSTATISTICS & HEALTH INFORMATICS					
		A. For Existing HIS Facility				
	1	Servers			100.00	
	2	Items / Equipment for Storage and Backup Solution			180.00	
	3	UPS			20.00	300.00
		B. For HIS Network (Campus wide Network and Trauma Center Network)				
	1	Items for HIS Network Management support for different areas of the Campus / Institute.			30.00	
	2	Distribution and access switch with modules for EMRTC building			28.00	58.00
3	Cardiology					
	1	High End Echocardiography Machine	1	125.00	125.00	
	2	Bed Side Monitoring system for ICU	1	200.00	200.00	
	3	Intravascular Ultrasound Machine - IVUS (stand alone with chromaflow or similar software)	1	105.00	105.00	430.00
4	Clinical Immunology					
	1	Flow cytometer	1	75.00	75.00	75.00
5	CSSD					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	1	Steam Sterilizer (Double Door) Capacity 900-100 ltrs	1	70.00	70.00	
	2	Plasma sterilizer (100 ltrs)	1	65.00	65.00	
	3	Steam STERILIZER (Single Door) Capacity 640 ltr Indian Model	2	31.50	63.00	198.00
6	CVTS					
	1	Operating theatre lights	3	25.00	75.00	
	2	Cardiac Surgical Oprating Instruments	1 set	50.00	50.00	125.00
7	Endocrine Surgery					
	1	Hand held Gamma Probe for Sentinel Lymph Node Biopsy	1	20.00	20.00	20.00
8	Endocrinology					
	1	Low Temperature Freezer (-40 deg C) vertical	2	7.00	14.00	
	2	Cardiac Monitor with Defibrillator with LCD Display for adult/ pediatric	1	7.00	7.00	
	3	Autonomic (cardiac) Neuropathy System	1	2.50	2.50	
	4	Energy Device with Cautery Machine	1	15.00	15.00	38.50
9	PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY UNIT					
	1	LCD display syringe infusion pump	5	0.30	1.50	
	2	Plate reading ELISA Reader and washer	1	6.50	6.50	8.00
10	Gastroenterology					
	1	Hydrogen methane breath test machine	1	21.00	21.00	
	2	C-Arm for fluoroscopy	1	350.00	350.00	371.00
11	General Hospital					
	1	OT Light	1	25.00	25.00	
	2	Ultrasonic Scalpel	1	20.00	20.00	45.00
12	Hematology					
	1	Binocular Microscope (low end)	2	2.00	4.00	
	2	Table Top Centrifuge (refrigerated)	2	6.00	12.00	
	3	Drop Infusion Pump	25	0.80	20.00	
	4	Syringe Infusion Pump	10	0.75	7.50	
	5	Slide denaturation Hybridizer	1	8.00	8.00	
	6	Biosafety Cabinet (Table Top)	1	6.00	6.00	57.50

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	Hospital Administration					
	1	Microwave for BMWM	1	60.00	60.00	
	2	Sharp Blaster for BMWM	3	3.00	9.00	
	3	Fogging Machine	1	15.00	15.00	84.00
14	M & RH					
	1	OT Light with light mounted recording and telecast system	1	20.00	20.00	
	2	USG Machine	1	50.00	50.00	70.00
15	Microbiology					
	1	Autoclave	1	5.00	5.00	
	2	ELISA Reader	1	8.00	8.00	
	3	Binocular Light Microscope attached camera with computer system and UPS along with recording facility	1	5.00	5.00	
	4	MGIT system	1	35.00	35.00	53.00
16	Molecular Medicine & biotechnology					
	1	Immulite 2000	1	54.00	54.00	
	2	Double door CO2 incubator	1	14.00	14.00	68.00
17	Neonatalogy					
	1	Inhaled Nitric Oxide	1	20.00	20.00	
	2	Amplitude Integrated EEG machine	1	20.00	20.00	40.00
18	Neuro Surgery					
	1	Surgical chair for neurosurgery operations	5	1.00	5.00	
	2	Plasma sterilizer	1	65.00	65.00	
	3	Ultrasonic aspirator	1	60.00	60.00	
	4	Microdrill for ENT	1	8.00	8.00	138.00
19	Neurology					
	1	Gait analysis & training machine	1	70.00	70.00	
	2	Fundus Camera	1	16.00	16.00	
	3	Tilt Table (Autonomic Function)	1	16.00	16.00	102.00
20	Nuclear Medicine					
	1	Radioactive Single channel well counter	1	25.00	25.00	25.00
21	Ophthalmology					
	1	Ultrasound with UBM	1	25.00	25.00	
	2	Dry Eye Diagnostic and Therapeutic	1	20.00	20.00	45.00
22	Pathology					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	1	Liquid based cytology System (LBC)	1	125.00	125.00	125.00
23	Pediatric Gastroenterology					
	1	Endoscopic radiofrequency electrosurgical cautery unit with endocut facility and argon plasma unit with FIAPC socket	1	35.00	35.00	
	2	Real time tissue elastography unit & Linear Probe	1	26.00	26.00	61.00
24	Plastic Surgery					
	1	Liposuction set with Lipofilling System	1	25.00	25.00	
	2	Drill Machine	1	15.00	15.00	
	3	Electric Dermatome	1	5.00	5.00	45.00
25	Pulmonary Medicine					
	1	Complete Spirometry System with body Plethysmography	1	50.00	50.00	
	2	Anaesthesa Work Station	1	40.00	40.00	90.00
26	Radiodiagnosis					
	1	Contrast Mammography faciity on Existing Hologic Mammography machine	1	60.00	60.00	
	2	64 Detector Rows 128 slice CT Scan Machine	1	700.00	700.00	
	3	MRI Machine 3 Tesla	1	1800.00	1800.00	2560.00
27	Transfusion Medicine					
	1	Semiautomated Immunohematology analyzer based on column agglutination technology	1	10.00	10.00	
	2	Self Contained Blood Irradiator including buy back, dismantling, decommisioning and disposal of existing radio active source on turn key basis	1	350.00	350.00	
	3	ROTEM	1	26.00	26.00	386.00
28	Urology					
	1	Pediatric ureteroscope rigid	1	4.00	4.00	
	2	Uretero- renoscope (URSL) rigid	1	4.00	4.00	
	3	Uretero-renoscope (URSL) flexible	1	8.00	8.00	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	4	Thalium laser	1	85.00	85.00	101.00
29	HOSPITAL SERVICES					
	1	Misc. expenses like GST, custom Duty, freight, insurance, etc, and purchase of any equipment of emergent nature and leftover liabilities of previous year and adjustment of shortfall of amount (estimated cost vs. landing cost) etc.			150.00	150.00
30	OTHER CAPITAL ITEMS					
	1	Hospital/ Office/ Lab furniture for new Emergency Medicine and Renal Transplant Centre (EMRTC) and various departments of the Institute etc.			280.00	
	2	Office and Ward automation, computers, printers, photocopiers, CCTV, Office Equipments, Fridges, LED TV, Projectors Screen etc. and any other equipment of emergent nature for New Emergency Medicine and Renal Transplant Centre (EMRTC) and various departments of the Institute			275.00	
	3	Library books & Journals + E-SERVICES			125.00	680.00
					Total Amount	**6700.00**

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।